

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-11-2015-1-पांच(19).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 एवं 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सूचना दिनांक 30 मार्च 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है अर्थात् :—

संशोधनों का प्रारूप

1. उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में,—

(एक) अनुक्रमांक 1ख के सम्मुख, कॉलम (2) में, मद 34 के पश्चात् निम्नलिखित मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“35. लेजर लैण्ड लेवलर

36. सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल

37. रीपर कम बाईण्डर और स्ट्रॉ रीपर

38. रेक और शेडर;

(दो) अनुक्रमांक 3 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “तेल रहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है, कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली” के स्थान पर, कोष्ठक और शब्द “(अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मालों से भिन्न)” स्थापित किए जाएं;”

(तीन) अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4क. बाइसिकल्स, ट्राइसिकल्स, साइकल रिक्शा तथा उनके पुर्जे (जिसमें टायर तथा ट्यूब सम्मिलित हैं) तथा उसके उपसहायक (एसेसरीज);

(चार) अनुक्रमांक 13क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“13ख. अभ्यास पुस्तिका (एक्सरसाईज बुक्स), ग्राफ बुक्स, ड्राईंग बुक्स तथा प्रयोगशाला नोट बुक”

(पांच) अनुक्रमांक 15क के सम्मुख कॉलम (3) में, शब्द “दो सौ पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” स्थापित किए जाएं;

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में,—

(एक) भाग-एक में, अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“5. तेल रहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है, 1”;  
कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली

(दो) भाग-दो में,—

(1) अनुक्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“1क. एलबम (फोटो एवं स्टाम्प एलबम) 5”;

(2) अनुक्रमांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“9क. ऑडियो टेप रिकार्डर और ऑडियो केसेट 5”;

(3) अनुक्रमांक 10 के सम्मुख, कॉलम (2), में, शब्द “फ्यूल” के स्थान पर, शब्द “फ्यूल और एविएशन गैस” स्थापित किए जाएं,

(4) अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“11क हाथी दांत की चुड़ियां 5

11ख बैटरी चलित कार और बैटरी चलित रिक्शा 5”;

(5) अनुक्रमांक 14 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“14 बायो फ्यूल आधारित धुआं रहित चूल्हा, गैस चूल्हा, गैस गीजर और इंडक्शन कुकटाप 5”;

(6) अनुक्रमांक 19क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“19ख केलकुलेटर (इलेक्ट्रॉनिक केलकुलेटर को छोड़कर) 5”;

(7) अनुक्रमांक 22 के सम्मुख, कॉलम (2) में शब्द “पंपिंग सेट्स तथा उनके पुर्जे” के स्थान पर, शब्द “पंपिंग सेट्स, उनके पुर्जे और उपसाधन” स्थापित किए जाएं;

- (8) अनुक्रमांक 22ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “22ग चरोटा बीज 5”;
- (9) अनुक्रमांक 30क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “30कक सूखा आंवला 5”;
- (10) अनुक्रमांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (11) अनुक्रमांक 36क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “36ख एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल 5”;
- (12) अनुक्रमांक 38 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “39 खाद्य रंग और खाद्य संरक्षक 5
- 39क कांच का दर्पण 5”;
- (13) अनुक्रमांक 41 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “असगंध” और “भोजपत्र” के स्थान पर, शब्द क्रमशः “असगंध, असालिया” और “भोजपत्र, ब्राह्मी” स्थापित किये जाएं;
- (14) अनुक्रमांक 55 के सम्मुख कॉलम (2) में,—
- (क) मद 12 के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “12क. एल्यूमिनियम पावडर”;
- (ख) मद 19 के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “19क. बेकिंग पावडर (सोडा-बाई-कार्ब)”;
- (ग) मद 173 के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “173क भाप”;
- (घ) मद 207 के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—
- “207क. एल्यूमिनियम क्लेम्स;
- 207ख. एल्यूमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब्स”;

- (15) अनुक्रमांक 55 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “55क. लेडिस हैण्ड बैग, पर्स और वेनिटी बैग 5”;
- (16) अनुक्रमांक 56क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “56ख. ताला और चाबी 5”;
- (17) अनुक्रमांक 57 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “इम्प्लांट्स और” के स्थान पर, शब्द “इम्प्लांट्स, डेन्टल फिलिंग मटेरियल और” स्थापित किये जाएं;
- (18) अनुक्रमांक 57क के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “एडल्ट डायपर” के स्थान पर, शब्द “एडल्ट डायपर, बेबी डायपर” स्थापित किये जाएं;
- (19) अनुक्रमांक 62क के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “ऑक्सिजन” के स्थान पर, शब्द “ऑक्सिजन, आर्गन, हीलियम, नाईट्रोजन, तरल नाईट्रोजन सहित” स्थापित किये जाएं;
- (20) अनुक्रमांक 63 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “कागज” के स्थान पर, शब्द “कागज, कार्बन पेपर, कागज की नालीदार शीट” स्थापित किये जाएं;
- (21) अनुक्रमांक 65ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “65ग. शू पॉलिस और शू क्रीम 5”;
- (22) अनुक्रमांक 70 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “70क. रेजर्स और रेजर ब्लेड्स 5”;
- (23) अनुक्रमांक 75 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “75क. स्कूल बैग्स 5”;
- (24) अनुक्रमांक 78 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “78क. सोया मिल्क पावडर 5”;
- (25) अनुक्रमांक 88 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “इलेक्ट्रानिक खिलौनों को अपवर्जित करते हुए” का लोप किया जाए;
- (26) अनुक्रमांक 90 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “अनुलग्नक तथा उनके पुर्जे (जिसमें टायर, ट्यूब और प्लेप सम्मिलित है)” के स्थान पर, शब्द “अनुलग्नक हाईड्रॉलिक ट्रॉली सहित, उनके पुर्जे (जिसमें टायर, ट्यूब और प्लेप सम्मिलित है) और उपसाधन” स्थापित किये जाएं;

(27) अनुक्रमांक 91 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“91क. हाई वोल्टेज आईसोलेटर्स (डिस्कनेक्टर्स) 5”;

(28) अनुक्रमांक 95 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“96. कलौंजी का तेल 5”;

(29) अनुक्रमांक 98 के सम्मुख, कॉलम (2) में, शब्द “पेंसिल तथा पेंसिल शार्पनर्स” के स्थान पर, शब्द “पेंसिल, पेंसिल शार्पनर्स तथा शैक्षणिक विज्ञान किट” स्थापित किये जाएं;

(तीन) भाग-तीन में,—

(क) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक “13” के स्थान पर, अंक “14” स्थापित किया जाए;

(ख) अनुक्रमांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(चार) भाग-तीन-क में,—

(क) अनुक्रमांक 3, 5 और 8 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक “13” के स्थान पर, अंक “14” स्थापित किया जाए;

(ख) अनुक्रमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“9. पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) 27

10. टेलीफोन, सेल्यूलर हैंडसेट और फेबलेट 14”;

(पांच) भाग-चार में, कॉलम (3) में अंक “13” के स्थान पर, अंक “14” स्थापित किया जाए.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-ए-3-11-2015-1-पांच(19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> March 2015

No. F-A-3-11-2015-1-V (19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendments in Schedule I and II of the said Act, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 30<sup>th</sup> March 2015 as required by the proviso to sub-section (1) of Section 70-A of the said Act, namely :—

#### AMENDMENTS

##### 1. In Schedule I to the said Act,—

- (i) against serial number 1B, in column (2), after item 34, the following items and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

35. Laser land leveler,

36. Seed cum fertilizer drill,

37. Reaper cum binder and straw reaper,

38. Rake and shredder";

- (ii) against serial number 3, in column (2), for the words "de-oiled cake including soyameal, cotton seed oil cake, mustard oil cake and makka khali", the bracket and words "(other than the goods specified in Schedule II)" shall be substituted;

- (iii) after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"4A. Bicycles, tricycles, cycle rickshaws and parts (including tyres and tubes) and accessories thereof";

- (iv) after serial number 13A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"13B. Exercise books, graph books, drawing books and laboratory books";

- (v) against serial number 15A, in column (3), for the words "Two Hundred and Fifty", the words "Five Hundred" shall be substituted.

##### 2. In Schedule II to the said Act,—

- (i) in Part-I, after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"5. De-oiled cake including all kinds of soyameal, cotton seed oil cake, mustard oil cake and Makka Khali. 1";

- (ii) in Part-II,—

- (1) after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"1A. Album (photo and stamp album)

5";

- (2) after serial number 9, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "9A. Audio tape recorder and audio cassette 5";
- (3) against serial number 10, in column (2), for the word "fuel", the words "fuel and aviation gas" shall be substituted.
- (4) after serial number 11, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "11A. Bangles of ivory 5
- "11B. Battery operated car and battery operated rickshaw 5";
- (5) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—
- "14. Biofuel based smokeless stove, gas stove, gas geyser and induction cook top 5";
- (6) after serial number 19A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "19B. Calculators (other than electronic calculators) 5";
- (7) against serial number 22, in column (2), for the words "pumping sets and parts thereof", the words "pumping sets, parts and accessories thereof" shall be substituted;
- (8) after serial number 22B, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "22C. Charota seeds 5";
- (9) after serial number 30A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "30AA. Dried aawala 5";
- (10) serial number 33 and entries relating thereto shall be omitted;
- (11) after serial number 36A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "36B. Aluminium composite panel 5";
- (12) after serial number 38, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- "39. Food colours and food preservatives 5
- "39A. Glass mirror 5";
- (13) against serial number 41, in column (2), for the words "Asagandh" and "Bhojpatra", the words "Asagandh, Asalia" and "Bhojpatra Brahmi" respectively shall be substituted;
- (14) against serial number 55, in column (2),—
- (a) after item 12, the following item and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
- "12A. Aluminium powder";

- (b) after item 19, the following item and entry relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “19A. Baking powder (Soda-bi-carb)”;
- (c) after item 173, the following item and entry relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “173A. Steam”;
- (d) after item 207, the following items and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “207A. Aluminium clamps  
 207B. Aluminium collapsible tubes”;
- (15) after serial number 55, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “55A. Ladies hand bags, purses and vanity bags 5”;
- (16) after serial number 56A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “56B. Locks and keys 5”;
- (17) against serial number 57, in column (2), for the words “implants and”, the words “implants, dental filling material and” shall be substituted;
- (18) against serial number 57A, in column (2), for the words “Adult diaper”, the words “Adult diaper, baby diaper” shall be substituted;
- (19) against serial number 62-A, in column (2), for the words “Oxygen”, the words “Oxygen, argon, helium and nitrogen including liquid nitrogen” shall be substituted;
- (20) against serial number 63, in column (2), for the words “Paper”, the words “Paper, carbon paper, corrugated sheet of paper” shall be substituted;
- (21) after serial number 65B, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “65C. Shoe polish and shoe cream 5”;
- (22) after serial number 70, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
 “70A. Razors and razor blades 5”;
- (23) after serial number 75, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—  
 “75A. School bags 5”;
- (24) after serial number 78, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—  
 “78A. Soya milk powder 5”;
- (25) against serial number 88, in column (2), the words “excluding electronic toys” shall be omitted;



- (26) against serial number 90, in column (2), for the words and bracket “attachment and parts (including tyres, tubes and Flaps) thereof”, the words and bracket “attachment including hydraulic trolley, parts (including tyres, tubes and flaps) and accessories thereof” shall be substituted;
- (27) after serial number 91, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
- “91A. High voltage isolators (disconnectors) 5”;
- (28) after serial number 95, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
- “96. Kalaunji oil 5”;
- (29) against serial number 98, in column (2), for the words “pencils and pencil sharpeners”, the words “pencils, pencil sharpeners and educational science kit” shall be substituted;
- (iii) in Part-III,—
- (a) against serial number 2, in column (3), for the figure “13”, the figure “14” shall be substituted;
- (b) serial number 6 and entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) in Part-III A,—
- (a) against serial numbers 3, 5 and 8, in column (3), for the figure “13”, the figure “14” shall be substituted;
- (b) after serial number 8, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted namely:—
- “9. Pan masala and gutka (without tobacco) 27
10. Telephone, cellular hand set and phablet 14”;
- (v) in Part-IV; in column (3), for the figure “13”, the figure “14” shall be substituted.

This notification shall come into force from 1<sup>st</sup> April 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.